

भारत सरकार  
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 4322  
उत्तर देने की तारीख 27.03.2023

**संरक्षित स्मारक क्षेत्रों की ग्रेडिंग और वर्गीकरण**

4322. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी :

श्री मारगनी भरत :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (एनएमए) ने संरक्षित स्मारकों और संरक्षित क्षेत्रों की ग्रेडिंग और वर्गीकरण के लिए कितनी बार सरकार को सिफारिशों की हैं और इन सिफारिशों के जवाब में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर, गंडिकोटा ग्रांड कैन्यन और किला, बेलम गुफाएं, गुंटुपल्ली बौद्ध स्थल और शालिहंडम के बौद्ध स्मारक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान हैं;
- (ग) यदि हां, तो क्या सरकार की इनमें से किसी स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नामांकन के लिए नाम अग्रेषित करने की कोई योजना है;
- (घ) क्या बाढ़ और बढ़े हुए वायु प्रदूषण जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमारे प्राचीन स्मारकों और इमारतों को नुकसान पहुंचा रही हैं; और
- (ङ) यदि हां तो सरकार द्वारा जिन महत्वपूर्ण स्मारकों और भवनों को अभी तक संरक्षित स्थल घोषित नहीं किया गया है उन्हें संरक्षित स्थल घोषित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  
(जी. किशन रेड्डी)

- (क) से (ग): राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए), प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएसआर) अधिनियम, 1958 की धारा 4क के अनुसार, एनएमए नियमावली,

2011 के नियम 6 की अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों को वर्गीकृत करने के लिए समय-समय पर सरकार को अनुशंसा करता है, जिसमें ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वास्तुकीय महत्व और ऐसे अन्य संगत कारकों सहित उनके विशिष्ट सार्वभौमिक महत्व को भी ध्यान में रखा जाता है। केंद्र सरकार, तत्पश्चात इन राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और परिरक्षण तथा संरक्षित क्षेत्रों के हित में आम जनता और एजेंसियों के लाभार्थ इसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती है और इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर और उसके अलावा किसी अन्य प्रकार से, जैसा यथोचित समझा जाए, प्रदर्शित करती है।

वर्ष 2022 में लेपाक्षी मंदिर को पहले ही अनंतिम सूची में शामिल किया गया है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची नामांकन प्रक्रिया में इसे आगे शामिल किए जाने के लिए पूर्वापेक्षित शर्त है।

(घ) और (ङ): जी, हां। बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय कारक हमारे प्राचीन स्मारकों और भवनों को हानि पहुंचा रहे हैं।

यदि असंरक्षित स्मारकों और भवनों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो विभिन्न संरक्षण और परिरक्षण कार्य विधियों जैसे कि वैज्ञानिक ढंग से सफाई, क्ले पैक, पेपर पल्प और हाइड्रोफोबिक उपचार को अपनाते हुए वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

\*\*\*\*